प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

.....

एकलपीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

.....

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्र. 1217/2008

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

श्रीमती अघानी बाई और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

आदेश के लिए दिनांक 17/12/2013 को सूचीबद्ध करें

हस्ताक्षरकर्ता/-

संजय के. अग्रवाल

न्यायाधीश

2010:CGHC:8362

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

.....

एकलपीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

.....

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्र. 1217/2008

अपीलार्थी: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

(बीमाकर्ता)

बनाम

प्रत्यर्थीगण: श्रीमती अघानी बाई और अन्य

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत विविध अपील

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिवक्ताओं की उपस्थिति:

श्री अभिषेक सिन्हा और श्री घनश्याम पटेल , अधिवक्ता, अपीलार्थी/ बीमा कंपनी के लिए अधिवक्ता

श्री मनोज चौहान, प्रत्यर्थीगण क्रमांक 1 से 7/ दावाकर्तागण के लिए अधिवक्ता

श्री अरुण शुक्ला, प्रत्यर्थीगण क्रमांक 8 और 9/ वाहन चालक और वाहन स्वामी के लिए अधिवक्ता

आदेश

(दिनांक 17 दिसंबर, 2013 को पारित)

(1) यह मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षिप्त में 'अधिनियम, 1988') की धारा 173 के तहत बीमाकर्ता द्वारा दायर अपील है, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जशपुर (संक्षिप्त में 'दावा अधिकरण') द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 04/2007 में दिनांक 06.12.2007 को पारित

अधिनिर्णय को चुनौती दी गई है, विशेष रूप से, आक्षेपित अधिनिर्णय के पैरा 57 में निहित निर्देश को चुनौती दी गई है।

(2) इस अपील के निर्णय के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

(2.1) दिनांक 01.11.2006 को, प्रत्यर्थी क्रमांक 8/वाहन चालक ने, पंजीयन क्रमांक सी.जी. 14 ए 2244 वाले ट्रैक्टर और पंजीयन क्रमांक सी. जी. 14 ए 2245 वाली संलग्न ट्रॉली को उतावलेपन से एवं उपेक्षापूर्वक चलाते हुए, जो प्रत्यर्थी क्रमांक 9 के स्वामित्व में थी और अपीलार्थी के पास बीमित थी, कन्हाईराम की मृत्यु का कारण बना, जिसके परिणामस्वरूप मृतक के दावाकर्तागण/विधिक प्रतिनिधियों द्वारा अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत 31,95,000/- रुपये की क्षतीपूर्ति, दुर्घटना कारित करने वाले ट्रैक्टर तथा ट्रॉली के वाहन चालक, वाहन स्वामी और बीमाकर्ता से संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक रूप से मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2.2) दुर्घटना कारित करने वाले ट्रैक्टर और ट्रॉली के चालक और स्वामी ने संयुक्त जवाब दावा पेश करके दावा याचिका का विरोध किया। बीमाकर्ता ने अलग से जवाब दावा पेश करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ यह कथन किया कि ट्रैक्टर और ट्रॉली का संचालन यात्रियों को ले जाने और गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था, जो की बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है, और इसलिए बीमाकर्ता कन्हाईराम की मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति राशी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

(2.3) सम्यक जांच के बाद, दावा अधिकरण ने आक्षेपित अधिनिर्णय द्वारा दावा आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अन्य बातों के साथ निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किया:

(i) कन्हाईराम की मृत्यु प्रत्यर्थी क्रमांक 8 द्वारा संचालित ट्रैक्टर (पंजीयन क्रमांक सी.जी. 14 ए 2244) और उससे संबद्ध ट्रॉली (पंजीयन क्रमांक सी. जी. 14 ए 2245) के उतावलेपन से एवं उपेक्षापूर्वक से चलाने के कारण हुई, जो प्रत्यर्थी क्रमांक 9 के स्वामित्व में थी और अपीलार्थी के पास बीमित थी।

(ii) ट्रैक्टर और ट्रॉली का संचालन बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा था, इसलिए बीमा कंपनी क्षतीपूर्ति का भुगतान करने के लिए दायी नहीं है, लेकिन दावा

अधिकरण ने निर्देश दिया कि बीमा कंपनी पहले क्षतीपूर्ति का भुगतान करे और उसे दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का स्वामी और चालक से वसूल करने की हकदार होगी।

(iii) दावाकर्ता आवेदन की तिथि से राशि के भुगतान तक 6% प्रति वर्ष के दर से ब्याज के साथ कुल ₹2,59,500/- के क्षतीपूर्ति के हकदार होंगे, ।

(3) अपीलार्थी /बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक सिन्हा और श्री जी.एस. पटेल ने यह तर्क दिया कि दावा अधिकरण ने स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि ट्रैक्टर और ट्रॉली बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए संयोजित जा रही थी और बीमा कंपनी क्षतीपूर्ति का भुगतान करने के लिए दायी नहीं है, लेकिन दावा अधिकरण ने बीमा कंपनी को यह निर्देश देने में चूक की है कि वह पहले मुआवजा अदा करे और उसके बाद दोषी ट्रैक्टर और ट्रॉली के स्वामी और चालक से उसकी वसूली करे।

(4) इसके विपरीत, प्रत्यर्थी क्रमांक 8 और 9/वाहन चालक और वाहन स्वामी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण शुक्ला और प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 7/दावाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज चौहान ने यह तर्क दिया कि भुगतान और वसूली का निर्देश इस न्यायालय की युगलपीठ द्वारा ***बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम इंदिरा बाई और अन्य*** के मामले में दिए गए निर्णय पर आधारित है, और इसलिए, दावा अधिकरण ऐसा निर्देश पारित करने हेतु अधिकारिता में है तथा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) विचार के लिए जो प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या इस मामले के तथ्यों को देखते हुए, दावा अधिकरण द्वारा बीमा कंपनी को यह निर्देश देना उचित था कि वह पहले दावाकर्तागण के पक्ष में निर्धारित राशि का भुगतान करे और फिर उसे वाहन के स्वामी से वसूल करे।

(6) ***नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बलजीत कौर***[1] के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समान स्थिति से निपटते हुए, निम्नानुसार अवधारित किया:

"21. उपरोक्त चर्चाओं का निष्कर्ष यह है कि बीमाकर्ता के स्थान पर वाहन का स्वामी डिक्री को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा। हालांकि, प्रश्न यह उठता है कि क्या विधि की अस्पष्टता को ध्यान में रखते हुए ऐसा निर्देश उचित और न्यायसंगत होगा। हमें ऐसा नहीं लगता। इसलिए, हम विधि स्थिति को स्पष्ट करते हैं, जिसका प्रभाव भविष्यलक्षी होगा। अधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने सतपाल सिंह [(2000) 1 एससीसी 237 : 2000

[1](2004) 2 एससीसी 1

एससीसी (क्रिमिनल) 130] मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की थी। उक्त निर्णय को केवल आशा रानी [(2003) 2 एससीसी 223 : 2003 एससीसी (क्रिमिनल) 493] मामले में उलट दिया गया है। अतः, हमारा मत है कि न्याय के हित में यह उचित होगा कि अपीलार्थी को, यदि पहले से अदा नहीं किया गया है, तो दावाकर्ता के पक्ष में दी गई राशि को अदा करने और वाहन स्वामी से उसे वसूल करने का निर्देश दिया जाए। इस प्रकार की वसूली के लिए, बीमाकर्ता के लिए अलग से वाद दायर करना आवश्यक नहीं होगा, बल्कि वह निष्पादन न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू कर सकता है, मानो बीमाकर्ता और स्वामी के बीच का विवाद अधिकरण के समक्ष विचाराधीन हो और मामला स्वामी के विरुद्ध और बीमाकर्ता के पक्ष में तय किया गया हो। हमने मोटर वान अधिनियम, 1988 की धारा 168 के दायरे और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार बीमाकर्ता न केवल दावाकर्ता द्वारा बीमाकर्ता, वाहन के स्वामी या चालक से संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक वसूली हेतु दावा राशि निर्धारित करने का हकदार है, बल्कि दुर्घटना में शामिल वाहन के स्वामी या चालक और बीमाकर्ता के बीच के विवाद को भी अधिकरण द्वारा ऐसी कार्यवाही में हल करने का हकदार है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम चल्ला उपेंद्र राव***[2] के मामले में उपर्युक्त स्थिति का अनुसरण किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"13. शेष प्रश्न यह है कि उचित निर्देश क्या होगा। अधिनियम के लाभकारी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, बीमाकर्ता के लिए क्षतीपूर्ति का भुगतान करना उचित होगा, भले ही विधितः उस पर कोई दायित्व न हो। कुछ मामलों में बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति से राशि वसूल करने का विकल्प और स्वतंत्रता दी गई है। स्वामी से भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए बीमाकर्ता को वाद दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी। वह संबंधित निष्पादन न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू कर सकता है, मानो बीमाकर्ता और स्वामी के बीच का विवाद अधिकरण के समक्ष निर्णय का विषय था और मामला स्वामी के विरुद्ध और बीमाकर्ता के पक्ष में तय किया गया हो। दावाकर्तागण को राशि जारी करने से पहले, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का स्वामी बीमाकर्ता द्वारा दावाकर्तागण को भुगतान की जाने वाली पूरी राशि के लिए जमानत प्रदान करेगा। दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को जमानत के हिस्से के रूप में कुर्क किया जाएगा। यदि आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो

[2](2004) 8 एससीसी 517

निष्पादन न्यायालय संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकरण की सहायता लेगा। निष्पादन न्यायालय विधि के अनुसार उचित आदेश पारित करेगा कि वाहन का स्वामी बीमाकर्ता को किस प्रकार भुगतान करेगा। यदि कोई चूक होती है, तो निष्पादन न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह दी जाने वाली प्रतिभूतियों को बेचकर या वाहन के स्वामी, अर्थात् बीमित व्यक्ति की किसी अन्य संपत्ति से वसूली का निर्देश दे। इस मामले में, शामिल राशि को ध्यान में रखते हुए, हम बीमाकर्ता के विवेक पर छोड़ते हैं कि वह बीमित व्यक्ति से राशि की वसूली के लिए कदम उठाए या नहीं।"

(8) ***नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कौशल्या देवी***[3] के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" उपर्युक्त कारणों से, एसएलपी (सी) क्रमांक 10694 से संबंधित सिविल अपील स्वीकार की जाती है और एसएलपी (सी) क्रमांक 9910/2006 से संबंधित सिविल अपील खारिज की जाती है। यदि बीमा कंपनी द्वारा जमा की गई राशि प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा निकाल ली गई है, तो बीमा कंपनी उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट तरीके से उसे वसूल कर सकती है। लेकिन यदि राशि नहीं निकाली गई है, तो जमा राशि बीमा कंपनी को वापस कर दी जाए और वाहन के स्वामी के विरुद्ध राशि की वसूली की कार्यवाही शुरू की जाए। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) ***नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम पर्वथनेनि***[4], निम्नलिखित दो प्रश्न विचार के लिए उच्च पीठ को भेजे गए हैं:

"7. ... 1) यदि कोई बीमा कंपनी यह सिद्ध कर दे कि मोटर यान अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत दावाकर्तागण को कोई राशि देने का उसका कोई दायित्व नहीं है, तो क्या न्यायालय उसे उक्त राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य कर सकता है और बाद में वाहन के स्वामी से उसे वसूल करने की स्वतंत्रता दे सकता है?

[3](2008) 8 एससीसी 246

[4] (2009) 8 एससीसी 785

(2) क्या ऐसा निर्देश संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत दिया जा सकता है, और अनुच्छेद 142 का दायरा क्या है? क्या अनुच्छेद 142 न्यायालय को ऐसे मामले में दायित्व सृजित करने की अनुमति देता है जहां कोई दायित्व नहीं है?"

(10) माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***'मैनेजर, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम साजू पी. पॉल और अन्य'***,के मामले में यह नोट किया कि यह सवाल—कि क्या इंश्योरेंस कंपनी को पहले अधिनिर्णय एक वृद्ध पीठ के समक्ष विचाराधीन है, और उसने निम्नानुसार अवधारित किया:

"26. उपरोक्त प्रश्नों पर वृद्ध पीठ द्वारा विचार लंबित होने का यह अर्थ नहीं है कि *बलजीत कौर*[(2004) 2 एससीसी 1 : 2004 एससीसी (क्रिमिनल) 370] और *चल्ला उपेंद्र राव*[(2004) 8 एससीसी 517 : 2005 एससीसी (क्रिमिनल) 357] के मामलों में अपनाई गई प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाना चाहिए, विशेषकर इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में। वर्तमान मामले में, दुर्घटना 1993 में हुई थी। उस समय दावाकर्ता 28 वर्ष का था। अब वह लगभग 48 वर्ष का है। दावाकर्ता भारी वाहन चालक था और दुर्घटना के कारण वह स्थायी रूप से विकलांग हो गया है। इस न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के कारण उसे अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। उसे राशि की वसूली के लिए और संघर्ष करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। बीमा कंपनी ने इस न्यायालय के 1-8-2011 के आदेश [*नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड* बनाम *साजू पी. पॉल* , एसएलपी (सी) क्रमांक 20127 ऑफ 2011, दिनांक 1-8-2011 का आदेश (एससी)] के अनुसार पूरी राशि जमा कर दी है, जिसमें निर्देश दिया गया था: "नोटिस जारी करें। पूरी राशि छह सप्ताह के भीतर इस न्यायालय में जमा की जाए। उक्त राशि जमा होने पर, इसे प्रारंभ में छह महीने की अवधि के लिए एक सावधि जमा खाते में रखा जाएगा।"] और उक्त राशि को सावधि जमा खाते में निवेश किया जा चुका है। इस मामले के इन विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम संतुष्ट हैं कि दावाकर्ता (प्रत्यर्थी 1) को बीमा कंपनी द्वारा इस न्यायालय में जमा की गई राशि को अर्जित ब्याज सहित निकालने की अनुमति दी जाए। इसके बाद बीमा कंपनी (अपीलकर्ता) इस प्रकार भुगतान की गई राशि को स्वामी (यहां प्रत्यर्थी 2) से वसूल कर सकती है। बीमा कंपनी द्वारा स्वामी से राशि की वसूली इस न्यायालय द्वारा *चल्ला उपेंद्र राव*[(2004) 8 एससीसी 517 : 2005 एससीसी (क्रि) 357] में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके की जाएगी।"

[5](2013) 2 एससीसी 41

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) यह तथ्य स्वीकृत और निर्विवादित है कि मृतक, दुर्घटना की तारीख को, उस दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के संबंध में एक 'तीसरा पक्ष' था, जिसका बीमा अपीलार्थी के पास था। लेकिन, चूंकि अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने का उत्तरदायी नहीं था, इसलिए माननीय दावा अधिकरण द्वारा यह निर्देश नहीं दिया जा सकता था कि अपीलार्थी पहले प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 7/दावाकर्तागण को निर्णय राशि का भुगतान करे, और फिर प्रत्यर्थी क्रमांक 7 और 8 से उस राशि की वसूली करे (चाहे संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक)। यह निर्देश **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम पर्वथनेनी और अन्य** (पूर्वोक्त) मामले में निर्धारित विधि के विरुद्ध है, जिसमें इस तरह के निर्देश की वैधता पर संदेह व्यक्त किया गया था और मामले को एक वृद्ध पीठ को संदर्भित कर दिया गया है। इसे देखते हुए, माननीय दावा अधिकरण ने निश्चित रूप से विधि की एक स्पष्ट त्रुटि की है, जब उसने अपीलार्थी को प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 7/दावाकर्तागण को मुआवज़े की राशि का भुगतान करने और फिर प्रत्यर्थी क्रमांक 7 और 8 से उस राशि की वसूली करने का निर्देश दिया। यह निर्देश रद्द किए जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। दावाकर्ता, अधिनिर्णय राशि की वसूली प्रत्यर्थी क्रमांक 7 और 8 से करने के हकदार होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है और उपरोक्त उल्लेखित सीमा तक आक्षेपित अधिनिर्णय में संसोधन किया जाता हैI वाद व्यय के विषय में कोई आदेश नहींI

हस्ताक्षरकर्ता/-

संजय के. अग्रवाल

न्यायाधीश

"अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।"**

Translated By Nitesh Jain